

समाहरणालय प्रश्रयन यन्त्रालय, बतौर
(जिला योजना कार्यालय)

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर सहायक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	चन्दौल पंचायत में आगनबाड़ी केन्द्र सं0-03 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	योगापट्टी	6.95900	6.95900	4 माह
2	चन्दौल पंचायत में आगनबाड़ी केन्द्र सं0-01 का भवन निर्माण कार्य।	योगापट्टी	6.95900	6.95900	4 माह
3	डुमरी खास पंचायत में आगनबाड़ी केन्द्र सं0-84 का भवन निर्माण कार्य।	योगापट्टी	6.95900	6.95900	4 माह
4	पकड़ीहार म0वि0 पंचायत में आगनबाड़ी केन्द्र सं0-136 का भवन निर्माण कार्य।	योगापट्टी	6.95900	6.95900	4 माह
कुल योग :-			27.83600	27.83600	

(कुल सातईस लाख तैरसी हजार छ. सौ रुपये मात्र)

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो।
- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो एवं योजना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प्र0चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, सर्वेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्ताम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण माच्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का, वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वी तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(E) -
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 31 /जि0या0, बेतिया, दिनांक : 10.3.12.

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आईटी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(E) -
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)


-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प०चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यप्रारंभ अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इराका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को सौंपा जाता है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	आगनबाड़ी केन्द्र सं०-160 सतवरिया वार्ड नं० 3, छटु दास (हरिजन) की जमीन पर खाता सं०-141 खेसरा-1504, रकवा-4 डी० भवन कार्य।	लौरिया	6.87800	6.87800	4 माह
2	आगनबाड़ी केन्द्र सं०-127 गोबरौरा वार्ड नं० 9-10 खाता सं०-18, खेसरा-591 भवन निर्माण।	लौरिया	6.87800	6.87800	4 माह
3	आगनबाड़ी केन्द्र सं०-122 गोबरौरा वार्ड नं०-12 का भवन निर्माण।	लौरिया	6.87800	6.87800	4 माह
4	द्रायसम भवन में आगनबाड़ी केन्द्र सं०-68 का भवन निर्माण।	लौरिया	6.87800	6.87800	4 माह
कुल योग :-			27.51200	27.51200	

(कुल सताईस लाख ईक्कावन हजार दो सौ रुपये मात्र)

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो।
- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो एवं
- योजना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प०चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का द्वितीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापक : 30 / जि०यो०, बेतिया, दिनांक : 10.3.12

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, प०चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

**समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)**

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक/अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	बनुछापर पंचायत अन्तर्गत स्व0 हरिहर प्रसाद के घर से शिव मंदिर जाने वाली गली में पी0सी0सी0 निर्माण	बेतिया	18.41300	18.41300	4 माह
2	बरवत सेना पंचायत अन्तर्गत कन्हाई पासवान के घर से हरेन्द राय के घर तक पक्का नाला।	बेतिया	6.57640	6.57640	4 माह
कुल योग :-			24.98940	24.98940	

(कुल चौबीस लाख अनठान्ने हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र)

शर्त:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नही हो।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो एवं Duplicacy नही हो।
- योजना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प0चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

E O

जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 29 / जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 10.3.12.

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, बेतिया को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

29/3/12
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

**समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)**

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से **विशेष घटक** के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	मछहां पंचायत के हरिजन बस्ती बलुआ में आगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	भितहॉ	6.05800	6.05800	4 माह
2	मछहॉ पंचायत के बैरवा(बैरटवा) ग्राम में आगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	भितहॉ	6.06200	6.06200	4 माह
3	भूईधरवा पंचायत के चन्द्रपुर में आगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	भितहॉ	6.08800	6.08800	4 माह
4	भूईधरवा पंचायत में आगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	भितहॉ	6.06900	6.06900	4 माह
कुल योग :-			12.15700	12.15700	

(कुल बारह लाख पन्द्रह हजार सात सौ रुपये मात्र)

शत:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नही हो।
- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो
- योजना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर **"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प0चम्पारण,** योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित

ET

जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक **28** / जि0यो0, बेतिया, दिनांक : **10.3.12**

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि: कीषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: :आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

ET
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

**समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)**

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	रसपुरवा लक्ष्मीपुर पंचायत में ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0-135 का भवन निर्माण।	बगहा-2	6.18000	6.18000	4 माह
2	सेमरा पंचायत के कठकुईया ग्राम में ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0-85 का भवन निर्माण।	बगहा-2	6.01800	6.01800	4 माह
कुल योग :-			12.19800	12.19800	

(कुल बारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ रुपये मात्र)

शर्तों:-


- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो
- योजना कार्य प्रारम्भ करने पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प0चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वी तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित


ज्ञापांक : 27 /जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 10.3.12.

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।


जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

**समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)**

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को सौंपा जाता है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	घृता टोला मध्य विद्यालय के पास आर्गेनबाड़ी केन्द्र सं०-01 का भवन निर्माण।	मधुबनी	6.02300	6.02300	4 माह
2	ग्राम रंगरूलही में विद्यालय परिसर में आर्गेनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण।	मधुबनी	6.05000	6.05000	4 माह
कुल योग :-			12.07300	12.07300	

(कुल बारह लाख सात हजार तीन सौ रुपये मात्र)

शत:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नही हो।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो
- योजना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प0चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित

Eo
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 26 /जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 10.3.12.

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि: : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

31/3/12
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनात्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित परित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमडल-2, बगहा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमडल-2, बगहा को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
7	2	3	4	5	6
1	श्रीनगर पंचायत अंतर्गत ग्राम श्रीनगर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	ठकराहों	5.88100	5.88100	4 माह
2	मोतीपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	ठकराहों	5.86800	5.86800	4 माह
कुल योग :-			11.74900	11.74900	

(कुल ग्यारह लाख चौहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र)

श्राव:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो एवं योजना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी कराएंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, प0चम्पारण, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, कार्यात्म की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, संवेदक का नाम एवं मजदूरी की दर निश्चित रूप से अंकित हो।
- स्ताम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबन्धित शीष में जमा करायेगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Eo
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 25 /जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 10-3-12

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमडल-2, बगहा को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

Eo
जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया
(जिला योजना कार्यालय)

-: आदेश :-


मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 25.01.2012 को जिला चयन समिति, प0चम्पारण की बैठक से विशेष घटक के रूप में निम्नलिखित पारित योजना के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका कार्यान्वयन प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराने का दायित्व कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को सौंपा जाता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि(लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीपतनगर ग्राम में ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	पिपरासी	6.12000	6.12000	4 माह
2	लक्ष्मही ग्राम में ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	पिपरासी	6.07700	6.07700	4 माह
कुल योग :-			12.19700	12.19700	

(कुल बारह लाख उन्नीस हजार सात सौ रुपये मात्र)

श्रुति:-

- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्य स्थल सार्वजनिक हो एवं कोई जमीनी विवाद नहीं हो।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में विगत पांच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया हो एवं योजना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेंगे, जिसे योजना पूर्ण होने पर समर्पित करेंगे।
- योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचना-पट्ट लगाया जाय जिसमें सबसे ऊपर "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्तम्भ-6 में अंकित निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता सह पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शन के आलोक में प्राक्कलन में निहित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा नियमानुसार बिक्री कर एवं रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित शीष में जमा करायेंगे।
- किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा।
- योजना निर्माण का वित्तीय/भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5वीं तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय, बेतिया को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक : 23 / जि0यो0, बेतिया, दिनांक : 10.03.12

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बगहा को मूल प्राक्कलन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर राशि व्यय कर पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, प0चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि इस पत्र को इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला योजना पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बातया।